संख्या-I/1455475-12-2026-1321-57-1099-11-2024

प्रेषक,

राजमन सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक 08 सितंबर, 2026

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-494/ध0का0वि0नि0/2025-26, दिनांक 18.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता (मी०) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० अयोध्या धाम अयोध्या के पत्र दिनांक 09.07.2026 द्वारा वाह्य विद्युत संयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये धनराशि रू0 58,11,231.00/- के आगणन को संलग्नकर उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 06.08.2026 द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में धनराशि रु०-56.45 लाख (रु० छप्पन लाख पैंतालीस हज़ार मात्र) आवंटित किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-14-2024-1842-57-24-758-2023, दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 6504.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की 35 प्रतिशत धनराशि रू० 2276.519 लाख को पूर्णांकित करते हुए धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-2(2) में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की गयी है:-

'' प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 56.45 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण हेतु संदर्भगत पत्र दिनांक 18.08.2026 द्वारा की गयी संस्तुति एवं शासनादेश दिनांक 09.09.2024 के प्रस्तर-2(2) में विहित शर्त के अनुपालन के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रू० 56.45 लाख (रूपये छप्पन लाख पैतालिस हजार मात्र) वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम, शर्ते व प्रतिबन्ध-</u>

(1) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक होने के कारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना है। अतः प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं / डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कन्सल्टेन्ट / निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्रियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा ई०पी०सी० मोड पर निर्माण कार्य कराए जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाक 19 अक्टूबर, 2023 व अन्य सुसंगत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा पी०एफ०ए०डी०/व्यय वित्त समिति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्यदायी सस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ / कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में में ही पूर्ण हो हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग की शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(13) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेंगा।

(15) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(16) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(17) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212-(vii) में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी सस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(22) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,45,000 (रुपये छप्पन लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4. जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/अयोध्या।

5- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।

6- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।

7- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

8- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।

9- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

11- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।

13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।